NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 23-07-2026

विषय सूची

आत्मनिर्भर परोपकार पारितंत्र का निर्माण

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के अंतर्गत नामित प्राधिकारी पर सरकार का स्पष्टीकरण

भारत में इंटरनेट बंदी

स्थिर भारत-चीन संबंध 'बहुध्रुवीय एशिया' के निर्माण में सहायक होंगे: विदेश मंत्री

भारत में अत्यधिक शक्तिशाली प्रतिजैविकों का उपयोग: अध्ययन

भारत में प्लास्टिक मुद्रा

संक्षिप्त समाचार

बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य

भीड़ नियंत्रण के दौरान पुलिस की पहचान

भारत ने अपना पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया

पैलेट गन

आत्मनिर्भर परोपकार पारितंत्र का निर्माण

सन्दर्भ

- भारत का परोपकार परिदृश्य संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि घरेलू निजी दान अब विदेशी परोपकारी प्रवाह से अधिक हो गया है।

आत्मनिर्भर परोपकार पारितंत्र

- इसका आशय ऐसी व्यवस्था से है, जिसमें **सामाजिक विकास का वित्तपोषण, संचालन और नेतृत्व मुख्यतः भारतीय नागरिकों, व्यवसायों, उद्यमियों तथा संस्थानों द्वारा किया जाए, जबकि विदेशी परोपकार पूरक भूमिका** निभाए।
- **उदाहरण**: अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन, शिव नादर फाउंडेशन आदि।
- **बेन–दसरा इंडिया फिलान्थ्रॉपी रिपोर्ट 2026 के अनुसार**, भारत में घरेलू निजी परोपकार प्रतिवर्ष ₹1.18 लाख करोड़ से अधिक है, जो विदेशी परोपकारी प्रवाह की तुलना में पाँच गुना से भी अधिक है।
- **परोपकार के प्रेरक के रूप में वित्तीय समावेशन:** डीमैट खातों, एसआईपी निवेश तथा डिजिटल भुगतान में भारत की प्रगति ने बड़े पैमाने पर नागरिकों की परोपकारी भागीदारी के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना तैयार की है।

परोपकार के नैतिक आयाम

- **करुणा और सहानुभूति**: परोपकार दूसरों के दुःख और अभाव की नैतिक अनुभूति पर आधारित है, जो व्यक्तियों और संस्थानों को लोककल्याण के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करती है।
- **धन का न्यासत्व:** धन को एक सार्वजनिक न्यास के रूप में देखा जाता है, जिसके साथ व्यक्तिगत उपभोग से परे सामाजिक दायित्व जुड़े होते हैं। परोपकार निजी संपत्ति को सार्वजनिक हित में परिवर्तित करने का माध्यम बनता है।
- **उत्तरदायित्व और पारदर्शिता**: दानदाताओं तथा परोपकारी संस्थाओं का नैतिक दायित्व है कि वे निधियों के संग्रह, आवंटन और उपयोग के बारे में स्पष्ट जानकारी दें, जिससे जनविश्वास बना रहे और संसाधनों का उत्तरदायी प्रबंधन सुनिश्चित हो।
- **न्याय और समानता**: नैतिक परोपकार केवल दान देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि **गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक असमानता तथा सामाजिक बहिष्करण** जैसी संरचनात्मक बाधाओं के समाधान का भी प्रयास करता है।

भारत में परोपकार के तीन चरण

- **प्रथम चरण (विदेशी वित्तपोषित विकास):** स्वतंत्रता के बाद के दशकों में विकास कार्य मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय दाता एजेंसियों और विदेशी फाउंडेशनों पर निर्भर थे।
- **द्वितीय चरण (सीएसआर आधारित संस्थानीकरण):** कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) ढाँचे ने विकास के लिए घरेलू पूंजी का एक स्थिर स्रोत उपलब्ध कराया तथा सामाजिक मुद्दों में कॉरपोरेट भागीदारी को अधिक पेशेवर बनाया। वर्तमान में CSR के माध्यम से प्रतिवर्ष ₹40,000 करोड़ से अधिक की राशि व्यय की जाती है।
- **तृतीय चरण (नागरिक एवं उद्यमी-नेतृत्व वाला परोपकार):** इस उभरते चरण में भारतीय परिवार, उद्यमी और सामान्य नागरिक सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख वित्तपोषक और नेतृत्वकर्ता बन रहे हैं।

विदेशी और घरेलू परोपकार की पूरक भूमिका

विदेशी परोपकार	घरेलू परोपकार
वैज्ञानिक अनुसंधान और उन्नत ज्ञान सृजन को समर्थन देता है।	विकास पहलों में **स्थानीय स्वामित्व** को बढ़ावा देता है।
देशों और संस्थानों के बीच **जनस्वास्थ्य सहयोग** को प्रोत्साहित करता है।	**स्वयंसेवी भागीदारी** और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देता है।
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं तक पहुँच सुनिश्चित करता है।	**भारतीय परिस्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित नवाचार को बढ़ावा** देता है।
वैश्विक ज्ञान आदान-प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को प्रोत्साहित करता है।	विकास के परिणामों में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से **लोकतांत्रिक वैधता** को सुदृढ़ करता है।

परोपकारी क्षेत्र के समक्ष प्रमुख बाधाएँ

- **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA):** FCRA नवीनीकरण में विलंब, लंबी अनुमोदन प्रक्रिया, पंजीकरण रद्द होना तथा अनुपालन संबंधी आवश्यकताएँ अनेक गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों को प्रभावित कर रही हैं।
- **शेयरों में अवरुद्ध संपत्ति**: अनेक उद्यमियों की अधिकांश संपत्ति नकद के बजाय कंपनी के शेयरों में निहित होती है। शेयर दान करने के लिए सरल व्यवस्था के अभाव में परोपकारी पूंजी का प्रवाह सीमित रहता है।
- **बड़े पैमाने पर दान हेतु सीमित कर प्रोत्साहन**: वर्तमान आयकर अधिनियम की **धारा 80G** के अंतर्गत सामान्यतः समायोजित **सकल कुल आय की 10% सीमा तक 50% कर कटौती** का प्रावधान है, जिसे अनेक विशेषज्ञ दीर्घकालिक और बड़े पैमाने के परोपकारी दान को प्रोत्साहित करने के लिए अपर्याप्त मानते हैं।

आगे की राह

- **संस्थागत सुदृढ़ीकरण**: जमीनी स्तर के संगठनों की शासन व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, प्रौद्योगिकी अपनाने तथा प्रभाव मूल्यांकन की क्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए।
- **राजकोषीय प्रोत्साहन**: कर नीति ऐसी होनी चाहिए जो दीर्घकालिक परोपकार, इक्विटी आधारित दान तथा स्थायी परोपकारी निधियों (एंडोमेंट) के निर्माण को प्रोत्साहित करे।
- **डिजिटल सहभागिता**: यूपीआई आधारित दान प्रणाली तथा पारदर्शी डिजिटल रिपोर्टिंग मंचों का देशभर में विस्तार किया जाना चाहिए।
- **नागरिक संस्कृति**: भारत में सभी आय वर्गों के बीच नियमित दान की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि परोपकार केवल बड़े कॉरपोरेट समूहों और अरबपतियों तक सीमित न रहे, बल्कि व्यापक नागरिक व्यवहार का हिस्सा बने।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) क्या है?

- यह एक **प्रबंधन अवधारणा** है, जिसके अंतर्गत कंपनियाँ अपने व्यावसायिक संचालन तथा हितधारकों के साथ अपने संबंधों में सामाजिक और पर्यावरणीय सरोकारों को समाहित करती हैं।
- भारत में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) एक **वैधानिक दायित्व** है, जिसका प्रावधान **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135** के अंतर्गत किया गया है।
- इसके अनुसार कंपनियों को **पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%** CSR गतिविधियों पर व्यय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

CSR के प्रावधान उन सभी कंपनियों पर लागू होते हैं, जिन्होंने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी की हो:

- ₹500 करोड़ से अधिक की शुद्ध संपत्ति, या
- ₹1000 करोड़ से अधिक का कारोबार, या
- ₹5 करोड़ से अधिक का शुद्ध लाभ।

स्रोत: TH

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के अंतर्गत नामित प्राधिकारी पर सरकार का स्पष्टीकरण

सन्दर्भ

- **विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (FCRA)** के विरुद्ध अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि नामित प्राधिकारी (Designated Authority) सभी मामलों में पूजा स्थलों के धार्मिक स्वरूप को यथावत बनाए रखेगा।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010

- FCRA का उद्देश्य **विदेशी अंशदान की प्राप्ति एवं उपयोग को विनियमित करना** है, ताकि राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
- इसे पहली बार **1976** में अधिनियमित किया गया था, जिसे **2010 में प्रतिस्थापित** किया गया तथा **2016, 2018 और 2020 में इसमें संशोधन** किए गए।
- इसका प्रशासन **गृह मंत्रालय (MHA)** द्वारा किया जाता है।
- FCRA पंजीकरण **5 वर्ष के लिए वैध** होता है तथा इसकी अवधि समाप्त होने से पूर्व इसका नवीनीकरण आवश्यक है।
- वर्तमान में **लगभग 16,000 गैर-सरकारी संगठन (NGOs) FCRA के अंतर्गत** पंजीकृत हैं, जिन्हें **प्रतिवर्ष लगभग ₹22,000 करोड़ का विदेशी अंशदान** प्राप्त होता है।

परिसंपत्ति प्रबंधन हेतु नामित प्राधिकारी का प्रावधान

- विधेयक में **विदेशी वित्तपोषित परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए नामित प्राधिकारी** को प्रमुख संस्थागत तंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।
- यदि किसी संगठन का पंजीकरण रद्द, समर्पित, समाप्त हो जाए या उसका नवीनीकरण न हो, तो **यह प्राधिकारी विदेशी अंशदान एवं संबंधित परिसंपत्तियों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा।**
- इस प्राधिकारी को **दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी** तथा यह गैर-सरकारी संगठनों की परिसंपत्तियों को सरकार अथवा किसी अन्य निकाय को हस्तांतरित करने या उनकी बिक्री का आदेश दे सकेगा।

संवैधानिक प्रावधान

- **धर्म की स्वतंत्रता**: धार्मिक संस्थानों को प्रभावित करने वाली किसी भी सरकारी कार्रवाई को वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरना होगा।
- **अनुच्छेद 25**: अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद 26**: धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार।
- **संघ बनाने की स्वतंत्रता**: **अनुच्छेद 19(1)(c)** संघ या संगठन बनाने के अधिकार की रक्षा करता है। **Noel Harper बनाम भारत संघ** (2022) मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विदेशी अंशदान प्राप्त करना कोई पूर्ण मौलिक अधिकार नहीं है, किंतु इसका विनियमन मनमाना नहीं होना चाहिए।

2026 संशोधन विधेयक के अन्य प्रमुख प्रावधान

- **परिसंपत्तियों पर सरकार का अधिकार**: यदि पंजीकरण बहाल नहीं किया जाता है, तो सरकार परिसंपत्तियों को किसी सरकारी विभाग को हस्तांतरित कर सकती है।
- इन परिसंपत्तियों को बेचा भी जा सकता है तथा बिक्री से प्राप्त राशि भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी।
- **पंजीकरण का स्वतः समाप्त होना**: नया धारा **14B** जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत FCRA पंजीकरण की अवधि समाप्त होने या नवीनीकरण अस्वीकृत होने पर पंजीकरण स्वतः समाप्त (Deemed Cessation) माना जाएगा।

निम्नलिखित तीन परिस्थितियों में पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जाएगा—

- संगठन नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं करता।
- नवीनीकरण का आवेदन अस्वीकृत हो जाता है।
- नवीनीकरण के बिना पंजीकरण की वैधता अवधि समाप्त हो जाती है।
- **निधियों के उपयोग की समय-सीमा**: संशोधन के अंतर्गत विदेशी निधियों की प्राप्ति एवं उपयोग के लिए अनिवार्य समय-सीमा निर्धारित की गई है, जिससे वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
- **निलंबन के दौरान प्रतिबंध**: निलंबित संगठन अपनी विदेशी वित्तपोषित परिसंपत्तियों को बेच, हस्तांतरित या गिरवी नहीं रख सकेगा।
- ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
- **जाँच का केंद्रीकृत नियंत्रण**: मूल अधिनियम की **धारा 43 में संशोधन** कर यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी जाँच एजेंसी या राज्य सरकार को FCRA से संबंधित आरोपों की जाँच प्रारंभ करने से पूर्व **केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होगी।**
- **दंड का युक्तिकरण**: संशोधन के अंतर्गत अधिनियम के उल्लंघन पर दंड की कठोरता कम की गई है। **अधिकतम दंड पाँच वर्ष** के **कारावास से घटाकर एक वर्ष का कारावास**, या जुर्माना, अथवा दोनों कर दिया गया है।
- **व्यक्तिगत उत्तरदायित्व**: "मुख्य पदाधिकारी (Key Functionary)" की परिभाषा में अब निदेशक, साझेदार, न्यासी, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) का कर्ता, समितियों/न्यासों/श्रमिक संघों के पदाधिकारी तथा प्रबंधन पर नियंत्रण रखने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल होगा।
- जब तक वे यह सिद्ध न कर दें कि उन्हें उल्लंघन की जानकारी नहीं थी अथवा उन्होंने समुचित सावधानी बरती थी, तब तक वे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- **परिसंपत्तियों का स्थायी रूप से सरकार में निहित होना**: यदि कोई संगठन बंद हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है अथवा उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो उसकी विदेशी वित्तपोषित परिसंपत्तियाँ नामित प्राधिकारी के माध्यम से स्थायी रूप से सरकार में निहित हो जाएँगी।

विदेशी अंशदान का विनियमन क्यों आवश्यक है?

- यह बाहरी हस्तक्षेप से **राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संप्रभुता की रक्षा** करता है।
- यह **धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) तथा अवैध गतिविधियों के लिए धन के दुरुपयोग को रोकता** है।
- यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी निधियों का उपयोग **केवल विकास एवं परोपकारी उद्देश्यों** के लिए हो।
- यह गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है।
- FCRA के अंतर्गत निर्वाचन उम्मीदवारों, **पत्रकारों, न्यायाधीशों, सरकारी कर्मचारियों तथा राजनीतिक संगठनों को विदेशी वित्तपोषण प्राप्त करने पर प्रतिबंध** है।

विदेशी अंशदान के विनियमन से संबंधित चिंताएँ

- **प्रशासनिक विलंब:** पंजीकरण एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया समय लेने वाली है, जिससे गैर-सरकारी संगठनों की निधि प्राप्त करने तथा गतिविधियाँ संचालित करने की क्षमता प्रभावित होती है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप**: गैर-सरकारी संगठनों का पंजीकरण रद्द करने या उनके बैंक खातों को फ्रीज़ करने संबंधी सरकार की विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है।
- **विकास में बाधा:** विदेशी अंशदान से संबंधित कठोर अनुपालन आवश्यकताएँ भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं।
- **पारदर्शिता का अभाव**: कुछ गैर-सरकारी संगठनों की FCRA के अंतर्गत प्राप्त विदेशी निधियों के उपयोग में पर्याप्त पारदर्शिता न होने के कारण उनकी आलोचना की गई है।

स्रोत: TH

भारत में इंटरनेट शटडाउन

चर्चा में क्यों?

- कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित 'चलो संसद' विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया।

इंटरनेट शटडाउन क्या है?

- इसे "इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक संचार का जानबूझकर किया गया व्यवधान, जिससे किसी विशिष्ट जनसंख्या या किसी स्थान पर इंटरनेट सेवाएँ पूरी तरह से अथवा प्रभावी रूप से अनुपयोगी हो जाएँ, प्रायः सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने के उद्देश्य से" परिभाषित किया जाता है।

इंटरनेट बंदी कई रूपों में हो सकती है, जैसे—

- संपूर्ण नेटवर्क सेवाओं को बंद करना,
- इंटरनेट की गति को धीमा करना (throttling),
- अथवा विभिन्न डिजिटल मंचों (प्लेटफ़ॉर्मों) को अवरुद्ध करना।

कारण

- **इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स के अनुसार**, अधिकांश इंटरनेट बंदी तब लागू की जाती है जब बड़ी संख्या में लोगों के राजनीतिक कारणों, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों, हिंसक विरोध-प्रदर्शनों अथवा धार्मिक आयोजनों के लिए एकत्र होने की संभावना होती है।
- कुछ इंटरनेट बंदी किसी संभावित घटना की आशंका में निवारक उपाय के रूप में लागू की जाती हैं, जबकि अन्य का उद्देश्य पहले से चल रही घटनाओं को नियंत्रित करना होता है।

भारत में इंटरनेट शटडाउन की स्थिति

- **SFLC इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर के अनुसार**, 2012 से अब तक जम्मू एवं कश्मीर में देश में सर्वाधिक, लगभग 449 इंटरनेट शटडाउन दर्ज की गई हैं। इसके बाद राजस्थान (115) तथा मणिपुर (62) का स्थान है।
- 2026 में भारत में अब तक लगभग 24 इंटरनेट शटडाउन दर्ज की गई हैं।
- भारत में अब भी विश्व के सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन वाले देशों में से एक होने की स्थिति बनी हुई है।
- एक्सेस नाउ (Access Now) की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 65 इंटरनेट बंदी दर्ज की गईं।
- यद्यपि यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कम थी, फिर भी एक संवैधानिक लोकतंत्र के लिए इसका स्तर असाधारण माना जाता है।

इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में तर्क

- **लोक व्यवस्था बनाए रखना**: सांप्रदायिक तनाव या नागरिक अशांति के दौरान सामाजिक माध्यमों पर घृणा भाषण, अफवाहों तथा भड़काऊ सामग्री के तीव्र प्रसार को रोकने में सहायता मिलती है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा**: संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में शत्रुतापूर्ण या आतंकवादी समूहों के बीच संचार एवं समन्वय को बाधित करती है।
- **प्रशासनिक विफलता से बचाव**: प्रतियोगी परीक्षाओं में संगठित नकल तथा बड़े पैमाने पर प्रश्नपत्र लीक को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर इंटरनेट सेवाएँ अस्थायी रूप से निलंबित की जाती हैं।

इंटरनेट शटडाउन के विरुद्ध तर्क

- **अधिकारों पर प्रतिबंध**: इंटरनेट बंदी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना तक पहुँच, शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार तथा व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों को सीमित करती है।
- **आर्थिक हानि**: इसका डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई-कॉमर्स, यूपीआई लेन-देन, गिग श्रमिकों तथा इंटरनेट पर निर्भर दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों की आजीविका पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन**: इससे नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं, ऑनलाइन शिक्षा, आपातकालीन सेवाओं तथा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सूचनाओं तक पहुँच बाधित होती है।
- आधिकारिक संचार माध्यमों के बंद होने से ऐसा शून्य उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रायः ऑफलाइन माध्यमों से फैलने वाली खतरनाक अफवाहें भर देती हैं।

भारत में इंटरनेट शटडाउन को नियंत्रित करने वाला कानून

- पहले भारत में इंटरनेट शटडाउन **भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5(2)** तथा **दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन (लोक आपातकाल या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के अंतर्गत** नियंत्रित की जाती थी।
- अब इन्हें **दूरसंचार अधिनियम, 2023** की **धारा 20** तथा **दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024** द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
- **दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20(2)(b)** के अनुसार, सरकार केवल लोक आपातकाल या लोक सुरक्षा के हित में इंटरनेट अथवा दूरसंचार सेवाओं को निलंबित कर सकती है, केवल इसलिए नहीं कि कोई विरोध-प्रदर्शन चल रहा है।
- ऐसा निलंबन निर्धारित वैधानिक आधारों पर, लिखित कारणों सहित, **दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024** के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा तथा पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित क्षेत्र, अवधि, तिथि और समय का विवरण सार्वजनिक किया जाएगा।

- प्राधिकारी यह भी परीक्षण करेंगे कि क्या वही उद्देश्य किसी कम प्रतिबंधात्मक उपाय से प्राप्त किया जा सकता है।

क्या आप जानते हैं?

- इंटरनेट शटडाउन के आदेशों को अब **अनुच्छेद 226** के अंतर्गत उच्च न्यायालय अथवा उपयुक्त मामलों में **अनुच्छेद 32** के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
- न्यायालय यह परीक्षण करते हैं कि आदेश वैध, आवश्यक, आनुपातिक तथा क्षेत्र और अवधि की दृष्टि से सीमित है या नहीं।
- सरकार को आदेश जारी करते समय उसके कारण दर्ज करने होंगे, कम प्रतिबंधात्मक विकल्पों पर विचार करना होगा तथा दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 का पालन करना होगा, जिसके अनुसार इंटरनेट शटडाउन का आदेश 15 दिनों से अधिक अवधि के लिए वैध नहीं हो सकता। अनिश्चितकाल के लिए इंटरनेट सेवाएँ बंद करना असंवैधानिक है।

क्रियान्वयन संबंधी समस्याएँ

- कई राज्यों ने निरस्त किए जा चुके **भारतीय तार अधिनियम, 1885 तथा 2017 के नियमों** के अंतर्गत ही इंटरनेट बंदी के आदेश जारी करना जारी रखा है, जिससे 2024 में लागू किए गए अधिक सशक्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की उपेक्षा होने की आशंका उत्पन्न होती है।
- सुरक्षा उपायों के बावजूद, **सूचना का अधिकार (RTI) के अंतर्गत** प्राप्त निष्कर्षों तथा विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि अनेक राज्य अब भी इंटरनेट बंदी के आदेशों और समीक्षा अभिलेखों को सार्वजनिक नहीं करते। इससे पारदर्शिता, न्यायिक पर्यवेक्षण तथा **अनुराधा भसीन मामले और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन** होता है।
- उदाहरण के लिए, **2025 में उत्तर प्रदेश (बरेली) तथा मणिपुर** में इंटरनेट निलंबन के आदेश पुराने कानूनी ढाँचे के अंतर्गत जारी किए गए थे।
- यह भी चिंता व्यक्त की गई है कि कुछ मामलों में स्थानीय पुलिस स्पष्ट वैधानिक आधार के अभाव में आपराधिक कानूनों के तहत नेटवर्क जाम (Network Jamming) की कार्रवाई करती है।

उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियाँ

- **अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020)** मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार, **अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा **अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत** व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।
- न्यायालय ने कहा कि इंटरनेट शटडाउन **कानून द्वारा अधिकृत, वैध उद्देश्य पर आधारित, आवश्यकता और आनुपातिकता की कसौटी पर खरी, सबसे कम प्रतिबंधात्मक उपाय,** तथा **क्षेत्र और अवधि की दृष्टि से सीमित** होनी चाहिए।
- न्यायालय ने **अनिश्चितकालीन** इंटरनेट शटडाउन को **असंवैधानिक** घोषित किया तथा निर्देश दिया कि इंटरनेट शटडाउन के आदेश सार्वजनिक किए जाएँ और **पाँच कार्य दिवसों के भीतर बहु-सदस्यीय समीक्षा समिति द्वारा उनकी समीक्षा** की जाए।
- न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि **इंटरनेट सेवाओं का पूर्ण निलंबन अंतिम उपाय (Last Resort) होना चाहिए** तथा उससे पहले कम हस्तक्षेपकारी उपायों पर विचार किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- इंटरनेट तक पहुँच आज मौलिक अधिकारों, आर्थिक गतिविधियों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा लोकतांत्रिक भागीदारी का एक महत्त्वपूर्ण आधार बन चुकी है।
- लोक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में राज्य की वैध भूमिका है, किंतु इंटरनेट बंदी को केवल असाधारण परिस्थितियों में अपनाया जाने वाला उपाय ही बने रहना चाहिए।
- किसी भी इंटरनेट निलंबन को **अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) के निर्णय** के अनुरूप तथा वैधता, आवश्यकता, आनुपातिकता, पारदर्शिता और न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके।

स्रोत: TH

स्थिर भारत-चीन संबंध 'बहुध्रुवीय एशिया' के निर्माण में सहायक होंगे: विदेश मंत्री

सन्दर्भ

- विदेश मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष के साथ **भारत-चीन संबंधों के सामान्यीकरण** पर चर्चा की तथा मुक्त एवं खुला हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के समर्थन में आयोजित **क्वाड देशों की बैठक में भाग लिया।**

प्रमुख बिंदु

- विदेश मंत्री (EAM) ने कहा कि **स्थिर भारत-चीन संबंध "बहुध्रुवीय एशिया" तथा "बहुध्रुवीय विश्व"** के निर्माण में सहायक होंगे।
- ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्रियों की क्वाड बैठक **फिलीपींस में आयोजित 59वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर** हुई।

भारत-चीन संबंध

- **2025 में** भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों के **75 वर्ष पूर्ण हुए।**

ऐतिहासिक तनाव:

- **1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद** से दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं तथा हाल के वर्षों में हुई झड़पों और बढ़ते अविश्वास के कारण यह तनाव और अधिक बढ़ा है।
- **2020 में गलवान घाटी** में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई झड़प ने संबंधों को और अधिक प्रभावित किया।
- इसके बाद भारत ने चीनी निवेशों पर प्रतिबंधात्मक कदम उठाए, अनेक **चीनी अनुप्रयोगों (ऐप्स) पर प्रतिबंध लगाया तथा चीन के लिए उड़ानों को निलंबित कर दिया।**

व्यापारिक संबंध

- 2025 में भारत और चीन के बीच **द्विपक्षीय व्यापार 155.6 अरब अमेरिकी डॉलर** के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में **12% से अधिक की वृद्धि** दर्शाता है।
- राजनीतिक तनाव के बावजूद दोनों देशों के आर्थिक संबंध निरंतर मजबूत होते रहे हैं।

प्रचलित तंत्र

- सीमा विवाद के समाधान के लिए तनाव के बावजूद **विशेष प्रतिनिधि (SR) तंत्र** तथा **परामर्श एवं समन्वय हेतु कार्य तंत्र (WMCC) जैसे संस्थागत तंत्र** कार्यरत हैं।
- **हालिया घटनाक्रम:**
  - **2024 में सैनिक विस्थापन (Disengagement)**: भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में सफल सैनिक विस्थापन की घोषणा की।
  - **अक्टूबर 2024 की बैठक**: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने "पारस्परिक विश्वास, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता" पर बल दिया।
  - **2025** में दोनों देशों ने **प्रत्यक्ष उड़ान सेवाएँ पुनः प्रारंभ** कीं तथा भारतीय प्रधानमंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन का दौरा किया।

पंचशील समझौता

- **1954** में भारत ने **तिब्बत को चीन का भाग स्वीकार** किया तथा दोनों देशों ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए।

पंचशील समझौते में निम्नलिखित **पाँच सिद्धांत** निर्धारित किए गए:

- एक-दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान।
- पारस्परिक अनाक्रमण।
- एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
- समानता एवं पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग।
- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।
- इस समझौते का उद्देश्य व्यापार तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना था और यही दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का आधार बना।
- इसके साथ भारत ने यह मान लिया कि उसकी उत्तरी सीमा का प्रश्न सुलझ गया है।
- **2025** में चीन के राष्ट्रपति ने इस बात पर बल दिया कि पंचशील के सिद्धांतों का दोनों देशों द्वारा संरक्षण और संवर्धन किया जाना चाहिए।
- यह बयान ऐसे समय आया, जब भारत और चीन अपने संबंधों को पुनः सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे तथा **सात वर्षों के अंतराल** के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीन का दौरा किया।

चिंता के क्षेत्र

सीमा पर जारी तनाव:

भारत-चीन सीमा विवाद अब भी अनसुलझा है और **लगभग 2,000 मील** तक फैला हुआ है। इस सीमा पर समय-समय पर होने वाली झड़पों ने दोनों देशों के संबंधों में निरंतर तनाव उत्पन्न किया है।

- **सैन्य गतिरोध एवं आधारभूत संरचना का विस्तार**: वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के दोनों ओर बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती, तीव्र गति से आधारभूत संरचना का निर्माण तथा सैन्यीकरण ने तनाव बढ़ने के जोखिम को बढ़ा दिया है।
- **चीन–पाकिस्तान गठजोड़**: विशेष रूप से चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) के अंतर्गत चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ता रणनीतिक सहयोग भारत के लिए चिंता का विषय है। यह गलियारा बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) का हिस्सा है और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपना अभिन्न अंग मानता है।
- **व्यापार असंतुलन**: भारत को चीन के साथ बड़े व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सक्रिय औषधीय

संघटक (APIs), दूरसंचार उपकरण तथा सौर पैनलों जैसे क्षेत्रों में भारत की चीनी आयातों पर अत्यधिक निर्भरता बनी हुई है।

हिन्द महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति:

- **श्रीलंका**: हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन की उपस्थिति तथा तेल शोधन संयंत्र में उसके निवेश ने भारत की चिंताओं को बढ़ाया है।
- **नेपाल**: आधारभूत संरचना परियोजनाओं (जैसे पोखरा हवाई अड्डा) में चीन का निवेश भारत की रणनीतिक स्थिति को चुनौती देता है।
- **बांग्लादेश**: ऋण समझौतों सहित चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को चुनौती देता है।
- **म्यांमार**: चीन–म्यांमार आर्थिक गलियारा (CMEC) सहित म्यांमार के साथ चीन के गहरे होते संबंध भारत के पड़ोसी क्षेत्र में उसकी उपस्थिति को और सुदृढ़ करते हैं।

इन चिंताओं के समाधान हेतु भारत के प्रयास

- **सैन्य तैयारी को सुदृढ़ करना**: वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाना, सीमा क्षेत्रों (**विशेषकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश**) में आधारभूत संरचना का विकास, उन्नत हथियार प्रणालियों की तैनाती तथा निगरानी क्षमता को मजबूत करना।
- **हिन्द-प्रशांत में रणनीतिक साझेदारी**: चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (Quad) में सक्रिय भागीदारी तथा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग को और गहरा करना।
- **प्रौद्योगिकी एवं साइबर सुरक्षा**: दूरसंचार अवसंरचना में उच्च जोखिम वाले विक्रेताओं को बाहर रखना तथा विश्वसनीय और स्वदेशी डिजिटल पारितंत्र को बढ़ावा देना।
- **समुद्री सुरक्षा**: भारत ने समुद्री सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपनी नौसैनिक क्षमताओं का विस्तार किया है तथा अमेरिका और जापान के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत किया है।
- **आधारभूत संरचना परियोजनाओं में भागीदारी**: भारत ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी तथा भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा (**IMEC**) जैसी परियोजनाओं में भाग लेकर अपने आर्थिक विस्तार को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है।
- **व्यापारिक संबंध**: भारत विशेष रूप से **इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा** जैसे क्षेत्रों में चीनी वस्तुओं पर अपनी निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहा है।

आगे की राह

- **भारत को सीमा क्षेत्रों तथा हिन्द महासागर क्षेत्र में निरंतर निगरानी** बनाए रखनी चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले **भू-राजनीतिक एवं प्रौद्योगिकीय घटनाक्रमों पर सतत दृष्टि** रखनी चाहिए।
- आगे का मार्ग संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता पर दृढ़ता के साथ-साथ **संतुलित कूटनीति एवं रणनीतिक स्वायत्तता के समन्वय** में निहित है।
- भारत और चीन के बीच पारस्परिक विश्वास को मजबूत करने के लिए **निरंतर संवाद** आवश्यक होगा, जिससे एशियाई सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में दोनों देशों की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोणों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

स्रोत: TH

भारत में अत्यधिक शक्तिशाली प्रतिजैविकों (Antibiotics) का उपयोग: अध्ययन

सन्दर्भ

- **द लैंसेट** में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, भारत में **अत्यधिक शक्तिशाली 'वॉच (Watch)'** श्रेणी के प्रतिजैविकों (antibiotics)का आवश्यकता से अधिक उपयोग किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

वैश्विक परिदृश्य

- अध्ययन में **186 देशों एवं क्षेत्रों को** शामिल किया गया, जो **विश्व की 99.8% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व** करते हैं।
- अध्ययन में पाया गया कि **72% देशों में आवश्यक अनुमान से अधिक प्रतिजैविकों का उपयोग** किया जा रहा था।
- **90% देशों** में ऐसे प्रतिजैविक अत्यधिक मात्रा में लिखे जा रहे थे, जो प्रतिजैविक प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance-AMR) को सबसे अधिक बढ़ावा देते हैं।
- **60% देशों में ऐसे प्रतिजैविकों का उपयोग जारी था, जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) अब नियमित रूप से लिखने की अनुशंसा नहीं** करता।

भारतीय परिदृश्य

- अध्ययन के अनुसार, भारत में 'रिज़र्व **(Reserve)' श्रेणी के प्रतिजैविकों का उपयोग, देश में प्रतिरोध के उच्च बोझ के बावजूद, अपेक्षाकृत कम** हो रहा है; जबकि जिन प्रतिजैविकों की अब अनुशंसा नहीं की जाती, उनका उपयोग अपेक्षा से अधिक जारी है।
- वर्तमान में भारत में **कुल प्रतिजैविक उपयोग का केवल 27% 'एक्सेस (Access)' श्रेणी** से आता है, जबकि इसकी **अनुमानित आवश्यकता 52.3%** है।
- भारत में **कुछ 'वॉच (Watch)' श्रेणी** के प्रतिजैविकों का अनावश्यक उपयोग हो रहा है, जिसे **'एक्सेस (Access)' श्रेणी के प्रतिजैविकों से प्रतिस्थापित** किया जा सकता है।

प्रतिजैविक (Antibiotics)

- प्रतिजैविक ऐसी औषधियाँ हैं, जो **जीवाणुओं (बैक्टीरिया) को नष्ट** करती हैं अथवा उनकी **वृद्धि को धीमा** कर देती हैं। चिकित्सक इनका उपयोग जीवाणुजनित संक्रमणों के उपचार के लिए करते हैं। ये जीवाणुओं को मारकर तथा उनके गुणन को रोककर कार्य करती हैं।
- **अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में प्रथम प्राकृतिक प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज** की थी।
- प्रतिजैविक **विषाणुजनित (वायरल) संक्रमणों के विरुद्ध प्रभावी नहीं** होते।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा प्रतिजैविकों का वर्गीकरण

- **एक्सेस (Access):** सामान्य संक्रमणों के उपचार के लिए प्रथम विकल्प वाले प्रतिजैविक, जिनसे प्रतिरोध विकसित होने का जोखिम अपेक्षाकृत कम होता है।
- **वॉच (Watch):** व्यापक प्रभाव वाले प्रतिजैविक, जिनका उपयोग केवल विशिष्ट संक्रमणों में किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें प्रतिजैविक प्रतिरोध बढ़ाने का जोखिम अधिक होता है।
- **रिज़र्व (Reserve):** बहु-औषधि प्रतिरोधी संक्रमणों के उपचार के लिए अंतिम विकल्प के रूप में सुरक्षित रखे गए प्रतिजैविक।

प्रतिजैविक प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance-AMR)

- **प्रतिजैविकरोधी औषधियाँ (Antimicrobials):** ये ऐसे कारक हैं जिनका उपयोग मनुष्यों, पशुओं तथा पौधों में संक्रामक रोगों की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपचार के लिए किया जाता है।
- इनमें प्रतिजैविक (Antibiotics), कवकरोधी औषधियाँ (Fungicides), विषाणुरोधी औषधियाँ (Antiviral agents) तथा परजीवीरोधी औषधियाँ (Parasiticides) शामिल हैं।
- **प्रतिजैविक प्रतिरोध (AMR):** यह वह स्थिति है जब जीवाणु, विषाणु, कवक तथा परजीवी औषधियों के प्रति प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, जिससे रोगियों का उपचार कठिन हो जाता है तथा रोग के प्रसार, गंभीर बीमारी और मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है।

HOW ANTIBIOTIC RESISTANCE HAPPENS

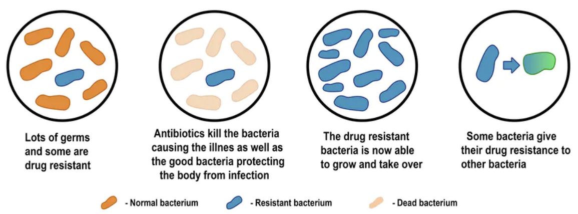

प्रतिजैविक प्रतिरोध (AMR) के कारण

- **अत्यधिक उपयोग**: मनुष्यों एवं पशुओं में प्रतिजैविकों का अत्यधिक तथा अनुचित उपयोग प्रतिजैविक प्रतिरोध का प्रमुख कारण है।
- **स्व-चिकित्सा (Self-Medication):** उचित चिकित्सकीय परामर्श के बिना स्वयं प्रतिजैविकों का सेवन उनके दुरुपयोग को बढ़ावा देता है।
- **खाद्य-पशुओं में प्रतिजैविकों का उपयोग**: खाद्य पशुओं एवं पोल्ट्री में वृद्धि प्रोत्साहक (Growth Promoter) के रूप में प्रतिजैविकों का उपयोग एक सामान्य प्रथा है, जो बाद में खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्यों तक पहुँचता है।
- **खराब स्वच्छता व्यवस्था**: बड़ी मात्रा में सीवेज का बिना उपचार किए जल निकायों में छोड़ा जाना नदियों को प्रतिजैविक अवशेषों तथा प्रतिजैविक-प्रतिरोधी सूक्ष्मजीवों से गंभीर रूप से प्रदूषित करता है।

भारत में प्रतिजैविक प्रतिरोध के विरुद्ध उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय प्रतिजैविक प्रतिरोध कार्ययोजना (NAP-AMR):** यह **"एक स्वास्थ्य (One Health)" दृष्टिकोण** पर आधारित है तथा विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों सहित सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है।
- **प्रतिजैविक प्रतिरोध निगरानी नेटवर्क (AMRSN):** भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने देश में औषधि-प्रतिरोधी संक्रमणों की प्रवृत्तियों एवं स्वरूपों का आकलन करने तथा साक्ष्य एकत्र करने के लिए प्रतिजैविक प्रतिरोध निगरानी एवं अनुसंधान नेटवर्क (AMRSN) की स्थापना की है।
- **भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI):** इसने मछली एवं शहद जैसे खाद्य उत्पादों में प्रतिजैविकों की मात्रा को सीमित करने हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017**: इसमें प्रतिजैविक प्रतिरोध को प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक माना गया है तथा प्रतिजैविकों के विवेकपूर्ण उपयोग और उनके अनियंत्रित उपयोग पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश विकसित करने को प्राथमिकता दी गई है।
- **राष्ट्रीय प्रतिजैविक उपभोग नेटवर्क (NAC-NET)**: इस नेटवर्क के अंतर्गत शामिल संस्थान अपनी-अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रतिजैविकों की खपत से संबंधित आँकड़े संकलित कर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) को भेजते हैं।

स्रोत: IE

भारत में प्लास्टिक मुद्रा

सन्दर्भ

- हाल ही में **भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL)** ने अंतर्निहित सुरक्षा विशेषताओं वाली पॉलीमर सब्सट्रेट शीटों की आपूर्ति हेतु रुचि अभिव्यक्ति (Expression of Interest–EoI) आमंत्रित की है।

पॉलीमर बैंक नोट क्या हैं?

- ये **द्विअक्षीय अभिमुखित पॉलीप्रोपाइलीन (BOPP)** से बनाए जाते हैं, न कि कपास-आधारित कागज़ से।
- **ऑस्ट्रेलिया वर्ष 1988 में पॉलीमर मुद्रा** शुरू करने वाला **विश्व का पहला देश** बना। वर्तमान में **यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम** सहित **60 से अधिक देश** पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से पॉलीमर नोटों का उपयोग करते हैं।
- **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने लगभग 15 वर्ष** बाद पॉलीमर (प्लास्टिक) बैंक नोटों को शुरू करने के अपने लंबे समय से लंबित प्रस्ताव को पुनः सक्रिय किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) Note Mudran Pvt. Ltd. (BRBNMPL)

- यह **भारतीय रिज़र्व बैंक** की **पूर्ण स्वामित्व** वाली सहायक कंपनी है, जिसकी स्थापना 1995 में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत भारत की बैंक नोट मुद्रण क्षमता बढ़ाने तथा मुद्रा की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी।
- **मुख्यालय**: बेंगलुरु, कर्नाटक
- **प्रमुख भूमिका**: आरबीआई के लिए बैंक नोटों का मुद्रण करना तथा देश की मुद्रा प्रबंधन प्रणाली को सहयोग प्रदान करना।
- **मुद्रणालय**: BRBNMPL दो उच्च सुरक्षा वाले मुद्रा मुद्रणालय संचालित करता है—
- **मैसूर (कर्नाटक):** वर्ष 1996 से संचालित।
- **सलबोनी (पश्चिम बंगाल):** वर्ष 2000 से संचालित।
- **कार्य:**
  - आरबीआई की आवश्यकताओं के अनुसार बैंक नोटों का मुद्रण करना।
  - जालसाजी रोकने के लिए उन्नत सुरक्षा मुद्रण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।
  - विशेष प्रकार के बैंक नोट कागज़, स्याही तथा अन्य सुरक्षा सामग्री की खरीद करना।
  - **पॉलीमर (प्लास्टिक) बैंक नोटों सहित** नई मुद्रा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं अपनाने को बढ़ावा देना।

ऐतिहासिक समयरेखा

- **2009**: RBI ने ₹10 मूल्यवर्ग के 100 करोड़ पॉलीमर नोट मुद्रित करने का प्रस्ताव रखा।
- **2012**: कोच्चि, मैसूर, जयपुर, भुवनेश्वर और शिमला में पायलट परियोजना की योजना बनाई गई। इन स्थानों का चयन विभिन्न जलवायु परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था।
- **2014–15**: RBI ने मूल्यांकन के दौरान तकनीकी कमियों की सूचना दी, जिसके कारण यह परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी।
- **2016** के बाद: विमुद्रीकरण के कारण नई बैंक नोट श्रृंखला के मुद्रण को प्राथमिकता दी गई।
- **2026**: BRBNMPL ने पॉलीमर सब्सट्रेट की आपूर्ति हेतु नई निविदा जारी की, जिससे इस परियोजना को पुनः गति मिलने के संकेत मिले।

आरबीआई इस प्रस्ताव को पुनः क्यों लागू कर रहा है?

- **अधिक लंबी आयु**: पॉलीमर नोटों का जीवनकाल औसतन कपास-आधारित कागज़ी नोटों की तुलना में 2.5 से 4 गुना अधिक होता है।
- भारत में **स्वच्छ नोट नीति (Clean Note Policy) के अंतर्गत प्रतिवर्ष 20–24 अरब गंदे एवं क्षतिग्रस्त नोट बदले जाते हैं तथा RBI मुद्रा के मुद्रण एवं प्रबंधन पर लगभग ₹5,000 करोड़ प्रतिवर्ष व्यय** करता है।
- **बेहतर सुरक्षा**: पॉलीमर नोटों में जालसाजी रोकने हेतु पारदर्शी खिड़कियाँ, सूक्ष्म मुद्रण (Micro-printing), उन्नत होलोग्राफिक तत्व तथा अंतर्निहित सुरक्षा विशेषताएँ जैसी आधुनिक सुरक्षा तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
- RBI के आँकड़ों के अनुसार 2025–26 में पकड़े गए **जाली नोटों की संख्या बढ़कर लगभग 2.3 लाख** हो गई।
- **कम जीवन-चक्र लागत**: यद्यपि पॉलीमर नोटों के निर्माण की प्रारंभिक लागत अधिक होती है, किंतु उन्हें बार-बार बदलने की आवश्यकता कम पड़ती है। परिणामस्वरूप **नोटों के मुद्रण, परिवहन, भंडारण तथा पुराने एवं क्षतिग्रस्त नोटों के नष्ट करने की लागत में कमी** आती है।
- **टेरी (TERI) द्वारा** पॉलीमर नोटों पर किए गए **जीवन-चक्र प्रभाव आकलन (Life Cycle Impact Assessment)** से पता चला है कि पॉलीमर नोटों का समग्र पर्यावरणीय प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो सकता है, क्योंकि समय के साथ कम संख्या में नोटों का निर्माण और परिवहन करना पड़ता है।

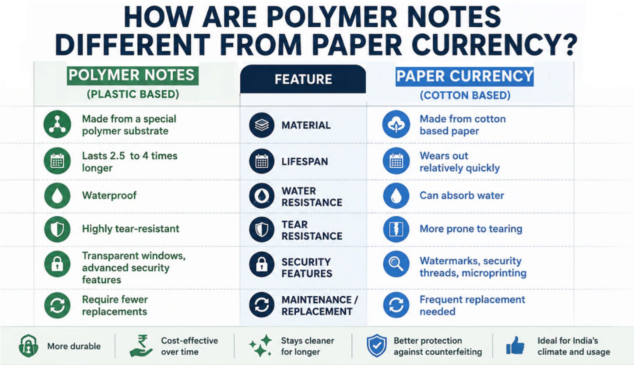

प्रमुख चिंताएँ

- **उच्च उत्पादन लागत**: पॉलीमर नोट, कपास-आधारित कागज़ी नोटों की तुलना में 30–60% अधिक महंगे होते हैं।
- कुछ देशों में कम मूल्यवर्ग के पॉलीमर नोटों की निर्माण लागत उनके अंकित मूल्य (Face Value) के लगभग 20–24% तक रही है, जिससे उनकी लागत-प्रभावशीलता पर प्रश्न उठते हैं।
- **पेट्रो-रासायनिक निर्भरता**: पॉलीमर सब्सट्रेट पॉलीप्रोपाइलीन से बनाए जाते हैं।
- भारत अभी भी बड़ी मात्रा में पॉलीप्रोपाइलीन का आयात करता है, जिससे इसकी लागत कच्चे तेल की कीमतों, भू-राजनीतिक तनावों तथा पश्चिम एशिया में आपूर्ति व्यवधानों से प्रभावित होती है।
- रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं, फिर भी आयात पर निर्भरता एक रणनीतिक चिंता बनी हुई है।
- **संक्रमण लागत**: पॉलीमर मुद्रा अपनाने के लिए एटीएम, नकदी छँटाई मशीनों, वेंडिंग मशीनों तथा मुद्रा प्रसंस्करण उपकरणों का पुनः अंशांकन (Recalibration) करना होगा।
- इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक बैंक, खुदरा विक्रेता तथा नकदी परिवहन (Cash Logistics) कंपनियों को भी नई व्यवस्था के अनुरूप ढलने में अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ेगी।
- **कागज़ी मुद्रा में पूर्व निवेश**: भारत ने बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा स्वदेशी स्याही निर्माण सुविधाओं सहित कागज़ी मुद्रा के लिए व्यापक घरेलू आधारभूत संरचना विकसित की है।
- पॉलीमर मुद्रा की ओर अचानक बदलाव से इन निवेशों का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाएगा।

डिजिटल भुगतान का विरोधाभास

- **UPI की तीव्र वृद्धि**: भारत में प्रतिवर्ष 24,000 करोड़ से अधिक UPI लेन-देन होते हैं, जो खुदरा डिजिटल भुगतानों का लगभग 85% हैं।
- **आरबीआई का मुद्रा माँग विरोधाभास**: डिजिटल भुगतान में तीव्र वृद्धि के बावजूद—
- प्रचलन में मुद्रा की मात्रा लगभग एक दशक पहले के ₹16–17 लाख करोड़ से बढ़कर 2025–26 में ₹41 लाख करोड़ से अधिक हो गई है।
- **मुद्रा-से-जीडीपी अनुपात** अभी भी 11% से अधिक है, जो दर्शाता है कि भौतिक नकदी की माँग अब भी बनी हुई है।
- **इसके प्रमुख कारण हैं**— अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर डिजिटल संपर्क, परिवारों एवं छोटे व्यापारियों द्वारा नकदी को प्राथमिकता तथा एहतियाती नकद भंडारण।
- इससे स्पष्ट होता है कि डिजिटल भुगतान और नकदी एक-दूसरे के पूरक हैं, पूर्ण विकल्प नहीं।
- मुद्रा मुद्रण लागत की प्रवृत्ति: RBI की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, मुद्रा मुद्रण पर व्यय—
- 2023–24: ₹5,101 करोड़
- 2024–25: ₹6,373 करोड़
- 2025–26: ₹4,875 करोड़

आगे की राह

- **चरणबद्ध क्रियान्वयन**: सभी मूल्यवर्गों को एक साथ प्रतिस्थापित करने के बजाय, ₹10 और ₹20 के नोटों से शुरुआत की जानी चाहिए, जहाँ टिकाऊपन का लाभ सर्वाधिक होगा।
- **घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा**: आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पॉलीमर सब्सट्रेट का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाया जाए, ताकि आयात पर रणनीतिक निर्भरता कम हो।
- **समग्र लागत–लाभ विश्लेषण**: RBI को जीवन-चक्र लागत, संक्रमण लागत, पर्यावरणीय लाभ तथा सुरक्षा लाभों का व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए।
- **पुनर्चक्रण अवसंरचना का विकास**: पॉलीमर नोटों से अधिकतम पर्यावरणीय लाभ प्राप्त करने के लिए पुनर्चक्रण सुविधाओं की स्थापना की जानी चाहिए।
- **डिजिटल भुगतान का निरंतर विस्तार**: पॉलीमर नोटों का उद्देश्य भारत की डिजिटल भुगतान रणनीति का पूरक बनना है, न कि उसका प्रतिस्थापन, ताकि उन क्षेत्रों में भी वित्तीय समावेशन सुनिश्चित हो सके जहाँ आज भी नकदी का व्यापक उपयोग होता है।

स्रोत: TH

NEXT IAS

संक्षिप्त समाचार

बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य

चर्चा में क्यों?

- ईरान द्वारा हूती विद्रोहियों से यह आग्रह किए जाने की रिपोर्टों के बाद कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका (US) ईरान पर आक्रमण करता है, तो वे इस रणनीतिक जलमार्ग को बंद कर दें, बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य एक बार फिर सुरक्षा संबंधी चिंताओं के केंद्र में आ गया है।

बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य

- यह एक **संकीर्ण जलमार्ग** है, जो **लाल सागर (Red Sea) को अदन की खाड़ी (Gulf of Aden) से जोड़ता** है।
- **उत्तर में यह स्वेज़ नहर तथा भूमध्य सागर से जुड़ता है, जबकि पूर्व में इसका संपर्क अरब सागर एवं हिन्द महासागर** से होता है।

महत्व

- बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य विश्व के सबसे महत्त्वपूर्ण समुद्री व्यापार एवं ऊर्जा परिवहन मार्गों में से एक है। सामान्यतः **वैश्विक व्यापार का लगभग 12% इसी मार्ग से होकर गुजरता है।**
- **2024 में ही इस जलडमरूमध्य से लगभग 4.1 अरब बैरल कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन हुआ, जो वैश्विक कुल का लगभग 5%** था।
- यदि यह मार्ग बंद हो जाता है, तो जहाजों को केप ऑफ गुड होप के रास्ते होकर जाना पड़ेगा, जिससे यात्रा में **4,000–6,000 समुद्री मील तथा 10–20 दिन अतिरिक्त** लगेंगे। इससे समुद्री परिवहन लागत बढ़ेगी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित होंगी।

भारत के लिए प्रासंगिकता

- इस मार्ग में किसी भी प्रकार का व्यवधान भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि **भारत के लगभग एक-तिहाई व्यापार का परिवहन इसी मार्ग** से होता है।
- बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारत को फ्रांस, जापान, मिस्र तथा सऊदी अरब के साथ मिलकर नियम-आधारित नौसैनिक कार्यबल के गठन में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि वाणिज्यिक समुद्री परिवहन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखी जा सके तथा SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) की परिकल्पना के अनुरूप अपने समुद्री एवं आर्थिक हितों की रक्षा की जा सके।

स्रोत: TH

भीड़ नियंत्रण के दौरान पुलिस की पहचान

सन्दर्भ

- हाल ही में दिल्ली में हुए एक विरोध-प्रदर्शन के दौरान **दिल्ली पुलिस तथा रैपिड एक्शन फोर्स (RAF)** के कुछ कर्मियों की सादे कपड़ों में अथवा बिना दिखाई देने वाले नेमप्लेट के तैनाती ने पुलिस की पहचान और उत्तरदायित्व को लेकर बहस छेड़ दी है।

भारतीय कानून क्या कहता है?

- यद्यपि कुछ विशेष परिस्थितियों, जैसे खुफिया जानकारी एकत्र करने से संबंधित अभियानों में पहचान छिपाना या आवश्यक होने पर भेष बदलना उचित हो सकता है, किंतु सामान्य पुलिस व्यवस्था वैधानिक प्रावधानों तथा न्यायिक दिशानिर्देशों द्वारा संचालित होती है।
- **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 148 से 160 के अनुसार**, केवल मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी ही किसी अवैध जमाव (Unlawful Assembly) को तितर-बितर करने का आदेश दे सकता है। यद्यपि कानून में अधिकारियों के लिए अपनी पहचान प्रदर्शित करना स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं किया गया है, फिर भी विधि विशेषज्ञों का मत है कि ऐसे आदेशों की वैधानिक वैधता के लिए पुलिस अधिकारी की पहचान स्पष्ट होना आवश्यक है।
- **डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) मामले** में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारियों की स्पष्ट एवं दृष्टिगोचर पहचान होनी चाहिए। यह निर्णय पुलिस के उत्तरदायित्व के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है।

- **2025 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय** ने प्रश्न उठाया कि जब सादे कपड़ों में तैनात कर्मी अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हों, तो नागरिक उन्हें पुलिस अधिकारी के रूप में कैसे पहचानेंगे।
- अतः, यद्यपि असाधारण परिस्थितियों में सादे कपड़ों का उपयोग उचित हो सकता है, किंतु **सामान्य कानून-व्यवस्था संबंधी दायित्वों के दौरान उनका उपयोग अब भी विधिक अस्पष्टता (Grey Area) का विषय** बना हुआ है।

स्रोत: IE

भारत ने अपना पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया

सन्दर्भ

- आईआईटी मद्रास द्वारा प्रोत्साहित नवप्रारंभिक उद्यम द ईप्लेन कंपनी ने e200X विमान मॉडल के भारत के पहले पूर्ण आकार के **विद्युत चालित ऊर्ध्वाधर उड़ान एवं अवतरण (eVTOL) प्रोटोटाइप (PT-01) का अनावरण** किया है।
- इसकी वाणिज्यिक सेवाएँ **वर्ष 2028** तक प्रारंभ होने की योजना है। प्रारंभ में इसका उपयोग एयर एम्बुलेंस सेवाओं के लिए किया जाएगा और बाद में इसे यात्री परिवहन तक विस्तारित किया जाएगा।

eVTOL क्या है?

- **eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing) एक बैटरी चालित विमान** है, जो हेलीकॉप्टर की तरह ऊर्ध्वाधर रूप से उड़ान भरने और उतरने में सक्षम होता है तथा इसके बाद सामान्य हवाई जहाज की तरह आगे की दिशा में उड़ान भरता है।
- eVTOL को **लंबे रनवे की आवश्यकता नहीं** होती। इसके अधिकांश डिज़ाइनों में एक बड़े रोटर के स्थान पर अनेक विद्युत चालित प्रोपेलर लगे होते हैं, जिससे यह अपेक्षाकृत छोटे स्थानों से भी उड़ान भर सकता है।

eVTOL हेलीकॉप्टर से कैसे भिन्न है?

- यद्यपि हेलीकॉप्टर और eVTOL दोनों ऊर्ध्वाधर रूप से उड़ान भरने और उतरने में सक्षम हैं, किंतु उनकी संरचना एवं कार्यप्रणाली भिन्न होती है।
- हेलीकॉप्टर विमानन ईंधन से संचालित एक या दो बड़े रोटरों पर निर्भर होते हैं, जबकि eVTOL बैटरियों से संचालित अनेक विद्युत मोटरों एवं प्रोपेलरों का उपयोग करता है।
- अनेक eVTOL निर्माता वितरित विद्युत प्रणोदन (Distributed Electric Propulsion) तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसमें कई प्रोपेलर मिलकर उत्थापन (Lift) और प्रणोदन (Thrust) उत्पन्न करते हैं।
- इस प्रकार की संरचना अतिरिक्त सुरक्षा (Redundancy) प्रदान करती है, क्योंकि यदि एक प्रोपेलर कार्य करना बंद कर दे, तो शेष मोटरें उत्थापन बनाए रखती हैं, जिससे विमान सुरक्षित रूप से नीचे उतर सकता है।

वाणिज्यिक eVTOL यात्री सेवाओं की चुनौतियाँ

- **विमान प्रमाणीकरण**: किसी भी वाणिज्यिक विमान को यात्रियों के परिवहन से पहले विमानन प्राधिकरणों द्वारा उड़ान योग्य (Airworthy) प्रमाणित किया जाना आवश्यक होता है। किंतु नियामक संस्थाएँ अभी eVTOL के लिए पृथक प्रमाणन प्रणाली विकसित कर रही हैं।
- विभिन्न देशों के नियामक मानकों में भिन्नता होने से लागत बढ़ सकती है तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनके विस्तार में बाधा आ सकती है।
- **आधारभूत संरचना**: eVTOL सेवाओं के लिए विशेष रूप से विकसित वर्टीपोर्ट की आवश्यकता होगी, जहाँ विमान के उड़ान भरने, उतरने, पुनर्भरण (चार्जिंग) तथा रखरखाव की सुविधाएँ उपलब्ध हों।
- **बैटरियों की सीमाएँ**: बैटरियाँ eVTOL के कुल भार का बड़ा हिस्सा होती हैं, जिससे उसकी भार वहन क्षमता (Payload) तथा उड़ान सीमा (Range) सीमित हो जाती है।
- वाहन में जितने अधिक यात्री होंगे, उतनी बड़ी बैटरी की आवश्यकता होगी। बड़ी बैटरी से वाहन का भार बढ़ता है, जिससे उसकी दक्षता कम हो जाती है।
- **नियामकीय व्यवस्था**: वाणिज्यिक संचालन के लिए पायलट लाइसेंस, वायु यातायात प्रबंधन, रखरखाव मानकों तथा उड़ान संचालन से संबंधित स्पष्ट नियमों की भी आवश्यकता होगी।

स्रोत: BS

पेलेट गन

सन्दर्भ

- दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन के उपयोग संबंधी रिपोर्टों का खंडन किया है।

पेलेट गन क्या हैं?

- पेलेट गन पुलिस एवं सैन्य बलों द्वारा विश्वभर में **प्रयुक्त अघातक (Non-Lethal) भीड़-नियंत्रण के साधनों में से एक** है। अन्य प्रमुख साधनों में **आँसू गैस, जल तोप, मिर्च स्प्रे तथा टेज़र गन** शामिल हैं।

- प्रत्येक कारतूस में सीसे (Lead) के बने सैकड़ों छोटे-छोटे छर्रे (Pellets) होते हैं, जो दागे जाने पर व्यापक क्षेत्र में फैल जाते हैं।
- यद्यपि इनका **उद्देश्य मृत्यु की संभावना को कम करना** होता है, फिर भी निकट दूरी से चलाए जाने पर अथवा छर्रे आँखों जैसे संवेदनशील अंगों पर लगने पर ये गंभीर चोट पहुँचा सकते हैं, क्योंकि छर्रे शरीर के कोमल ऊतकों में प्रवेश कर सकते हैं।
- **भारत में 2010 में जम्मू एवं कश्मीर में अशांति के दौरान पहली बार पेलेट गनों को जीवित गोलियों (Live Ammunition) के अपेक्षाकृत कम घातक विकल्प के रूप में अपनाया** गया था, ताकि नागरिकों की मृत्यु की घटनाओं को कम किया जा सके।
- मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) के अनुसार, सुरक्षा बलों को **न्यूनतम बल का प्रयोग** करना चाहिए तथा यदि गोली चलाना अपरिहार्य हो, तो **कमर के नीचे निशाना** लगाने का निर्देश दिया गया है।
- भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली पेलेट गनों का निर्माण आयुध निर्माणी, ईशापुर (Ordnance Factory, Ishapore) में किया जाता है।
- भीड़ नियंत्रण के अतिरिक्त, **पेलेट गनों का उपयोग शिकार तथा हानिकारक जीवों (Pest) के नियंत्रण** के लिए भी किया जाता है।

स्रोत: TH

■■■■